

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट सं०-276, दिनांक: 07-09-2021

थाना कुण्डा व थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ से अंग्रेजी शराब की अवैध फैक्ट्री में विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब का निर्माण, भण्डारण व विक्रय किये जाने में वांछित हिस्ट्रीशीटर व रू० 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुधाकर सिंह एस०टी०एफ० द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 07-09-2021 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को थाना कुण्डा व थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ से अंग्रेजी शराब की अवैध फैक्ट्री में विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब का निर्माण, भण्डारण व विक्रय किये जाने में वांछित हिस्ट्रीशीटर व रू० 1,00,000/- के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुधाकर सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

सुधाकर सिंह पुत्र कुंज बिहारी सिंह निवासी ग्राम पुरमई सुल्तानपुर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

आस्था हास्पिटल थाना क्षेत्र महानगर, लखनऊ के सामने सड़क पर, दिनांक 07-09-2021, समय 16:45 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों / अपराधिक गैंग के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० के पर्यवेक्षण में एस०टी०एफ० मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु०अ०सं० 48/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/272/273 भादवि, मु०अ०सं० 49/2021 धारा 419/120/467/468/471/272/273 व 60(2)/63 आब० अधि० व 63 ए कॉपीराइट एक्ट व 103/104 व्यापार एवं वस्तु अधि० व मु०अ०सं० 50/2021 धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादवि व 60(2)/63/60ए आब० अधि० व 63 क कापीराइट एक्ट व 103/104 व्यापार एवं वस्तु अधि० व थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु०अ०सं० 124/2021 धारा 272/273/420/467/468/471 भादवि व 60/60क आब०अधि० व 63/63 क कापीराइट एक्ट व 103/104 वस्तु पण्य अधिनियम व मु०अ०सं० 125/2021 धारा 420/467/468/471/272/273 भादवि व 60क, 60(2), 63 आबकारी अधि० में वांछित हिस्ट्रीशीटर (एच०एस०नं० 2बी) अपराधी आज लखनऊ में आस्था हास्पिटल में किसी से मिलने जायेगा, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज द्वारा इस अपराधी की गिरफ्तारी हेतु उपरोक्त अभियोगों में रू० 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया है।

अभिसूचना संकलन से प्राप्त सूचना पर एस0टी0एफ0 की एक टीम गठित कर अभियुक्त सुधाकर सिंह को उपरोक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में वर्ष 2005 में ट्रैफिक असिस्टेंट के पद पर भर्ती हुआ था तथा वर्तमान समय में एन0ई0आर0 लखनऊ में तैनात है। जनपद प्रतापगढ़ का मूल निवासी है, जहाँ पर मिलावटी शराब की अवैध फैक्ट्री लगाकर विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब तैयार करता है। यह शराब हू-ब-हू सरकारी शराब की ठेकों में बिकने वाली शराब की तरह ही होती है। इस काम को वह कई वर्षों से कर रहा है। इसमें उसे काफी मुनाफा होता है। उसके पास सरकारी शराब की भी 6 दुकाने हैं, जिसके माध्यम से भी अवैध अंग्रेजी शराब की खपत करता है।

अभियुक्त ने पूछताछ में यह भी बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रेलवे हास्पिटल, सिविल लाईन, प्रयागराज से सिक रेस्ट लेकर फरारी काट रहा है।

अभियुक्त सुधाकर सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहास:-

क्र०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	513 / 2010	307 / 323 / 325 / 364 / 395 / 427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	कुण्डा	प्रतापगढ़
2	178 / 2014	467 / 468 / 419 / 420 / 272 / 273 / 427 भादवि व 103 / 104 व्यापार चिन्ह प्रतीक अधि० व 3 / 4 कॉपीराइट एक्ट व 60 / 63 एक्स. एक्ट	महेशगंज	प्रतापगढ़
3	15 / 2016	420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 273 भादवि	महेशगंज	प्रतापगढ़
4	17 / 2016	135 भा०वि० अधिनियम	महेशगंज	प्रतापगढ़
5	517 / 2016	420 / 467 / 468 / 471 / 272 भादवि व 63 कॉपीराइट एक्ट व 60 / 63 एक्स. एक्ट	मिल एरिया	रायबरेली
6	44 / 2018	471 / 437 / 468 / 419 / 420 / 272 / 273 भादवि व 60 / 63 एक्स. एक्ट	नवाबगंज	प्रतापगढ़
7	48 / 2021	60 / 63 आबकारी अधिनियम व 420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 273 भादवि	हथिगवां	प्रतापगढ़
8	49 / 2021	419 / 120 / 467 / 468 / 471 / 272 / 273 व 60(2) / 63 आब० अधि० व 63 ए कॉपीराइट एक्ट व 103 / 104 व्यापार एवं वस्तु अधि०	हथिगवां	प्रतापगढ़
9	50 / 2021	419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 273 भादवि व 60(2) / 63 / 60ए आब० अधि० व 63 क कॉपीराइट एक्ट व 103 / 104 व्यापार एवं वस्तु अधि०	हथिगवां	प्रतापगढ़
10	121 / 2021	3 / 25 आर्म्स एक्ट	महेशगंज	प्रतापगढ़
11	124 / 2021	272 / 273 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि व 60 / 60क आब० अधि० व 63 / 63 क कॉपीराइट एक्ट व 103 / 104 वस्तु पण्य अधिनियम	कुण्डा	प्रतापगढ़
12	125 / 2021	272 / 273 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि व 60 क / 60(2) आब० अधि०	कुण्डा	प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत उक्त मुकदमें में दाखिल किया जायेगा। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कुण्डा व थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा की जायेगी।